# खण्ड - III

## आयोजना परिव्यय 2003-2004

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2003-2004 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी हैं जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्य-निष्पादन का अधिक विस्तृत विश्लेषण निष्पादन-बजट में दिया जाएगा जो विकास-संबंधी व्यय से जुड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से पेश किया जाएगा। विवरण 12 में आयोजना आवंटन मंत्रालय/विभाग-वार दिए गए हैं। विवरण 13 में विकास-क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-शीर्षों द्वारा आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए है। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरों सहित व्यवस्था दर्शाता है।

2002–2003 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की तुलना में 2003-2004 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

| | बजट अनुमान 2002-2003 | संशोधित अनुमान 2002-2003 | बजट अनुमान 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन | 66870.92 | 68218.52 | 72151.60 |
| सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन | 77166.85 | 68648.07 | 75741.01 |
| **केन्द्रीय आयोजना परिव्यय** | **144037.77** | **136866.59** | **147892.61** |
| **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता** | **46629.08** | **45870.77** | **48822.40** |

## कृषि और संबद्ध गतिविधियां

**फसल कार्य :** कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। आवंटन मुख्यतः तिलहन और दाल कार्यक्रम, फसलोन्मुखी कार्यक्रमों, पौध संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षा सिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, फसल बीमा और भंडारण सुविधाओं सहित बागवानी कार्यकलापों के लिए किया गया है। "कार्य योजनाओं (कृषि में वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" योजना के अधीन भी 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 1662.57 करोड़ रुपए है।

**मृदा और जल संरक्षण :** इस शीर्ष के अधीन परिव्यय अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूमि प्रयोग संरक्षण बोर्ड, झेलम, चेनाब, जम्मू और कश्मीर में शिवालिक के अवक्रमित जलग्रहण क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और झूम खेती (राज्य आयोजना) के लिए प्रदान किया गया है। मृदा और जल संरक्षण के अधीन इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 29.03 करोड़ रुपए है, जिसमें से 20 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती (राज्य आयोजना)" के लिए है।

**संहकारिता :** प्रावधान मुख्यतः सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण और अल्प विकसित राज्यों में सरकारी समितियों को सहायता के लिए है। इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 163.25 करोड़ रुपए है।

**अन्य कृषि कार्यक्रम :** परिव्यय कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण, विपणन अवसंरचना के विकास, विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क आदि के लिए है। इन कार्यकलापों के लिए परिव्यय 100 करोड़ रुपए है।

**वानिकी और वन्य जीवन :** इस क्षेत्रक के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 434 करोड़ रुपए है। 48 करोड़ रुपए वानिकी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए, 74 करोड़ रुपए वन संरक्षण, 136 करोड़ रुपए वन्य जीवन संरक्षण के लिए और 220 करोड़ रुपए वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। 295 करोड़ रुपए राष्ट्रीय नदियों और झीलों के संरक्षण के लिए आवंटित किए गए हैं।

**खाद्य भंडारण और भंडागारण :** इस क्षेत्रक के लिए आयोजना परिव्यय 169.18 करोड़ रुपए है। इसमें से 25.05 करोड़ रुपए एफसीआई और 12 करोड़ रुपए एफसीआई के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली के लिए है।

**कृषि अनुसंधान और शिक्षा :** कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को आवश्यक सरकारी संपर्क प्रदान करता है। वर्ष 2003-2004 के लिए विभाग का आयोजना परिव्यय 775 करोड़ रुपए है। इसमें से 541 करोड़ रुपए फसल कार्य, 67 करोड़ रुपए पशुपालन, 28 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और 61 करोड़ मृदा और जल संरक्षण के लिए है।

## ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 10270 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए वर्ष 2003-2004 हेतु केंद्रीय आयोजना परिव्यय 800 करोड़ रुपए है, जिसमें से 80 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए निर्धारित किए गए हैं ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है ताकि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण हेतु वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। अतीत के अनुभवों से भी यह बात सामने आई है कि यदि व्यक्तिगत आधार के बजाय समूह आधार पर प्रयास किए जाएं तो सफलता की दर ऊंची होती है। इसलिए यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लधु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निकटता से शामिल तथा जुड़ी रहती हैं, जो स्वरोजगार के चयन तथा परियोजना-पश्च मॉनीटरिंग आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के साथ अपना कार्य प्रारम्भ करती है। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

**ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम :** वर्ष 2003-2004 के लिए ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु आयोजना परिव्यय ग्रामीण विकास विभाग में 800 करोड़ रुपए और भू-संसाधन विभाग में 935 करोड़ रुपए है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक चालू केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसके अधीन सूक्ष्म-जलसंभर आधार पर बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। परियोजनाओं का निधिपोषण केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी से होता है। प्रस्ताव साधारणतया गैर-सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/गैर-मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) ब्लॉक में स्वीकृत किए जाते हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि, जल और मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कार्यनीति पर आधारित दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। यह सूक्ष्म जलसंभर आधार पर कार्यान्वित की जा रही केंद्र-प्रायोजित योजना है। आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

डीडीपी का लक्ष्य दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने और सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि कृषि आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए भी मरुभूमिकरण को नियंत्रित और भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित और उसका उपयोग करना है। यह सूक्ष्म जलसंभर आधार पर कार्यान्वित की जा रही एक केंद्र-प्रायोजित योजना भी है। आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर दिनांक 1.4.1999 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्य के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना के अधीन उन परियोजनाओं, जो सरकारी भूमि में हैं, के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है और निजी भूमि पर परियोजनाओं के मामले में परियोजना की लागत की भागीदारी 60:40 के अनुपात में केंद्र और किसानों/निगमित निकाय के बीच की जाती है।

**ग्रामीण रोजगार :** संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के लिए वर्ष 2003-2004 का कुल परिव्यय 4900 करोड़ रुपए (नकद संघटक के लिए 4125 करोड़ रुपए और खाद्यान्न संघटक के लिए 775 करोड़ रुपए) है। संपूर्ण रोजगार योजना रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) की चालू योजनाओं के विलय द्वारा दिनांक 25.9.2001 से प्रारंभ की गई थी। नए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा इन क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियां और अवसंरचना विकास के साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एसजीआरवाई आंशिक मजदूरी के रूप में कामगारों को प्रति मानव दिवस पांच किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न के वितरण की संकल्पना करती है । जहां नकद संघटक की भागीदारी 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्यों को बीच की जानी है वहीं केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों की संपूर्ण लागत की पूर्ति करती है। यह कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक चरण कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कुल संसाधनों का पचास प्रतिशत प्राप्त करता है। पहला चरण जिला और मध्यस्थ पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध निधियों का पचास प्रतिशत और खाद्यान्न जिला परिषद और मध्यस्थ पंचायत के बीच 40:60 के अनुपात में वितरित किया जाता है। दूसरा चरण ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इस चरण के अधीन संपूर्ण आवंटन डीआरडीए/जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किया जाता है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अधिसूचना और कृषि मंत्रालय द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसजीआरवाई का एक विशेष संघटक भी है। एसजीआरवाई के अधीन आवंटित खाद्यान्नों की एक निश्चित प्रतिशतता इस प्रयोजन के लिए आरिक्षत की जाती है। विशेष संघटक के अधीन खाद्यान्नों का उपयोग प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रभावित और विधिवत अधिसूचित जिले में मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना में किया जा सकता है। मजदूरी का नकद संघटक और सामग्री की लागत की पूर्ति उस योजना, जिसके अधीन उप-संघटक का प्रयोग किया जाएगा, से की जाती है।

**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः** वर्ष 2003-04 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 313 करोड़ रुपए है, जिसमें डीआरडीए प्रशासन हेतु (250 करोड़ रुपए), चुने गए पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित प्रशिक्षण (39 करोड़ रुपए), एनआईआरडी (6 करोड़ रुपए), कापार्ट (50 करोड़ रुपए), आई.ई.सी. (10 करोड़ रुपए), मानीटरिंग तंत्र (20 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल है।

डीआरडीए प्रशासन की योजना का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक और मंत्रालय के निर्धनता-रोधी कार्यक्रम के प्रबंधन और दूसरी और जिले में निर्धनता उन्मूलन के समग्र प्रयासों से इन्हें प्रभावी रूप से संबद्ध करने में दक्ष विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है। इस योजना का निधिपोषण 75:25 के आधार पर प्रशासनिक लागतें पूरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भूमि सुधार : वर्ष 2003-2004 के लिए भूमि सुधारों के लिए आयोजना परिव्यय 65 करोड़ रुपए है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान शीर्ष के अधीन रखे गए हैं। भूमि सुधार के अधीन, राज्यों को 50:50 के आधार पर और राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण और भूमि अभिलेखों को अधतन करने (एसएलआर और यूएलए) की योजना के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की एक केंद्र-प्रायोजित योजना भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक शत-प्रतिशत सहायता अनुदान योजना है। एसएलआर और यूएलआर तथा सीएएलआर दोनों भूमि और राजस्व अभिलेखों का आधुनिकीकरण नामक एक नई योजना का भाग है। अभी तक देश में 569 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अधीन लाया गया है और योजना देश के 2426 तहसीलों/तालुका/मंडलों में प्रचालनरत की गई है।

## सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

वृहत **और मध्यम सिंचाईः** इस खण्ड के अधीन परिव्यय आंकड़ा संग्रहण, नदी धाटियों में अतिरिक्त जलवैज्ञानिक स्टेशनों की स्थापना, वृहत और मध्यम सिंचाई क्षेत्रक निर्मित करने के लिए अनुसंधान और अन्य कार्यकलाप हेतु हैं। वर्ष 2003-2004 के लिए 74.58 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताएं शामिल करता है।

**त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमः** यह कार्यक्रम चालू सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वर्ष 1996-97 से चल रहा है, जिनपर पर्याप्त प्रगति हुई है तथा ये परियोजनाएं राज्य सरकारों के संसाधन क्षमता से परे हैं। वर्ष 2003-2004 के लिए 2800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किए गए बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के एक कार्यक्रम कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 202 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

## ऊर्जा

**विद्युत** : वर्ष 2003-2004 आं.बा.बा.सं. सहित विद्युत मंत्रालय के लिए 14667.61करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (450 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (2553.13 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (1450 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (198 करोड़ रुपए), नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (758.05 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (924.29 करोड़ रुपए), भारतीय विद्युत ग्रिड निगम (2670 करोड़ रुपए) की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

(i) **संबद्ध पारेषण लाइनों सहित तापीय और पन बिजली उत्पादनः** 4501 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतः राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, तालचर, चरण II (2000 मेगावाट), रामागुण्डम-III (500 मेगावाट), रिहंद II (1000 मेगावाट), सीपत-I (1980 मेगावाट), कोलडैम और कहलगांव-II के लिए किया गया है। दामोदर घाटी निगम के लिए आयोजना परिव्यय 1450 करोड़ रुपए है, जो मेजिया टीपीएस यूनिट # 4(1x210 मेगावाट), मैथन जल विद्युत संयंत्र, मेजिया टीपीएस यूनिट # 5 और 6 (2x 250 मेगावाट); चंद्रपुरा टीपीएस यूनिट # 7 और 8 (2x 250 मेगावाट), बोकारो स्टील टीपीएस यूनिट # 1 (1x 500 मेगावाट), दुर्गापुर स्टील टीपीएस यूनिट 1 (500 मेगावाट), कोडरमा टीपीएस चरण-I यूनिट # 1 और 2 (2x 500 मेगावाट) और मैथन एलबी टीपीएस चरण-II यूनिट # 1 और 2 (2x 500 मेगावाट) परियोजनाओं के पुनःमार्जन के लिए अभिप्रेत है। राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम के लिए

उसकी चालू तथा साथ ही नई परियोजनाओं यथा दुलहस्ती (390 मेगावाट), धौलीगंगा (280 मेगावाट), पर्वती-II (800 मेगावाट), तीस्ता (510 मेगावाट), सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट) और एनएचडीसी की संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं अर्थात् ओंकारेश्वर (520 मेगावाट) और पुरुलिया पम्प भंडारण योजना (900 मेगावाट) के लिए 3269.72 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय को समर्थन देने के लिए 2553.13 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषणन के लिए बजटीय समर्थन के रूप में 1752.04 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

भारतीय विद्युत ग्रिड निगम के लिए नाथपा-झाकरी, टीएल, रिंहद-II पारेषण, ताला पारेषण, सीपत-I पारेषण, तीस्ता सिलीगुड़ी पारेषण लाइन, तालचर-II पारेषण, रामागुण्डम-III पारेषण, रायपुर-चंद्रपुर, भारत-बंगलादेश, यूएलडीसी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र, गजुवाका एचवीडीसी संवृद्धि आदि के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 2670 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय प्रदान किया गया है।

अन्य प्रावधान में उत्तर-पूर्वी विद्युत निगम के लिए त्रिपुरा गैस-आधारित चक्रीय विद्युत परियोजना (500 मेगावाट), कमोंग पनबिजली परियोजना (600 मेगावाट), तुरियल पन बिजली (60 मेगावाट), तुइबई (210 मेगावाट), तिपईमुख (1500 मेगावाट), लोअर कोपीली पनबिजली परियोजना (150 मेगावाट) आदि के लिए उसके 414.40 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय को समर्थन देने हेतु 198 करोड़ रुपए शामिल है। त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएण्डएसपी) के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत संयंत्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण, उत्पादन योजनाओं आदि के लिए 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। टिहरी पन विकास निगम को उसके 924.29 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय को समर्थन देने हेतु 467.31 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण निर्धनों को एक विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम हेतु भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए ब्याज सब्सिडी योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**पेट्रोलियमः** वर्ष 2003-2004 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 22731.47 करोड़ रुपए है। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (प्राकृतिक गैस की ढुलाई सहित) 16950.43 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 5130 करोड़ रुपए, पेट्रो-रसायनों के लिए 633.04 करोड़ रुपए शामिल हैं। ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा निवेश भी परिव्यय के मुख्य संघटक हैं। इस परिव्यय का वित्तपोषण संपूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 22731.47 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा और कोई बजटीय सहायता की संकल्पना नहीं की गई है।

**कोयला और लिग्नाइटः** भारतीय अर्थव्यवस्था को अवसंरचनात्मक समर्थन देने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2003-2004 के लिए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 3321.30 करोड़ रुपए रखा गया है। आयोजना परिव्यय की पूर्ति तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अंशतः 285.90 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और अंशतः आंतरिक बजट-बाह्य संसाधनों (3035.40 करोड़ रुपए) द्वारा की जाएगी।

**गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतः** गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के लिए वर्ष 2003-04 का परिव्यय 1082.99 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 55 करोड़ रुपए तथा मथानिआ, राजस्थान में 140 मेगावाट आईएससीसी विद्युत परियोजनाओं हेतु 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इस आयोजना परिव्यय में नवीकरणीय माध्यम से न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, विकेंद्रीयकृत ऊर्जा आपूर्तियों तथा ग्रिड गुणवत्ता विद्युत निर्माण पर जोर दिया गया है, साथ ही इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षणों पर जोर है। इसमें हाइड्रोजन ऊर्जा, जैव-ईंधनों, भूत्तल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन से सम्बद्ध अनुसंधान तथा विकास पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 2003-2004 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वच्छ ऊर्जा सेवाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय परियोजना के लिए एक नए कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है।

## उद्योग एवं खनिज

**लघु उद्योगः** इस शीर्ष में लघु उद्योगों एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संवर्धन के लिये परिव्यय शामिल है। लघु उद्योग मंत्रालय हेतु वर्ष 2003-04 के लिये परिव्यय 400 करोड़ रुपए है, जिसमें लघु उद्योग यूनिटों को संपार्श्विक निःशुल्क ऋण के लिये ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु 172.80 करोड़ रुपए और लघु उद्योग यूनिटों के विकास में तेजी लाने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिये 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना शामिल है। लघु उद्योग यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी हेतु 10.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें छोटे और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिये परिव्यय भी शामिल है।

**लौह एवं इस्पात उद्योगः** इस्पात मंत्रालय के लिये 2003-2004 हेतु आयोजना परिव्यय 1461.30 करोड़ रुपए का है, जिसका वित्तपोषण 11 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एवं 1450.30 करोड़ रुपए के बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा। कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपए की धनराशि 2003-04 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमि. (सेल) के लिये प्रदान की गई है, जिसे इसके अपने आंतरिक एवं बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा। सेल के अंतर्गत स्कीमों एवं कार्यक्रमों के लिये प्रदत्त परिव्यय के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः- (1) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये 219 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इसमें 145 करोड़ रुपए लम्बी दूरी रेल सुविधाओं तथा शेष धनराशि अन्य चालू परिवर्धन/परिवर्तन प्रतिस्थापन स्कीमों और पूरी की गई स्कीमों के संविदा समापन के बकाया भुगतान के लिए शामिल है। (2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये 50 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। जिसमें 17 करोड़ रुपए वायर रौड मिल के संस्थापन हेतु तथा शेष राशि पुराने तथा अप्रचिलत उपस्करों को बदलने और विभिन्न यूनिटों तथा गुणवत्ता उत्पादों की उत्पादकता में प्रौद्योगिकी सुधार एवं ऊर्जा के निर्माण संरक्षण में सुधार, उत्पादन लागत में कमी लाना तथा पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए है। (3) राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है जिसमें 50 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिकल रेसिसटेंस वेल्डेड पाइप प्लांट के उन्नयन हेतु, 25 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण हेतु तथा 50 करोड़ रुपए कोक ओवन बैटरी सं. 1 के पुनर्निर्माण हेतु तथा शेष राशि अन्य चालू योजनाओं तथा एएमआर योजनाओं के लिए है। (4) बोकारो इस्पात संयंत्र हेतु 111.50 करोड़ रुपए के परिव्यय में से आधुनिकीकरण योजना हेतु (23 करोड़ रुपए कोक ओवन बैटरी सं. 5 हेतु (30 करोड़ रुपए) तथा अन्य चालू, पूर्ण, तथा एएमआर स्कीमों हेतु रखे गयेहैं, (5) एलॉय इस्पात संयंत्र हेतु 3 करोड़ रुपए तथा सलेभ इस्पात संयंत्र हेतु 1 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था का उद्देश्य चालू स्कीमों तथा पूर्ण स्कीमों के संविदा समापन सम्बन्धी भुगतान संतुलन के लिए है। कच्चा माल प्रभाग हेतु 25 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था खनन पस्करों का प्रतिस्थापन, उत्खनकों, डंपरों तथा अन्य चालू और पूर्ण स्कीमों के लिए की गयी है। (5) शेष 20.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था विश्वेश्वरैय्या लौह एवं इस्पात संयंत्र, केन्द्रीय विपणन संगठन, लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, "सेल" के कार्पोरेट-कार्यालय, भारतीय लौह एवं इस्पात कं. बर्नपुर जिसमें कुल्टी, "इस्को" एवं महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमि. एम.ई.एल. भी शामिल हैं, के लिये चालू परियोजनाओं एवं अनुसंधान कार्य हेतु की गयी है। (6) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु 227 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमेंकोक ओवन बैटरी सं. 4 के लिए 102 करोड़ रुपए तथा कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। शेष राशि अन्य चालू एएमआर स्कीमों तथा नगर निर्माण हेतु रखी गयी है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परिव्यय की पूर्ति आन्तरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों से की जाएगी । (7) एमएसटीसी लिमिटेड के लिए एसजेके इस्पात निगम के साथ संयुक्त उद्यम चलाने हेतु 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, 11.50 करोड़ रुपए फैरो स्क्रेप निगम लि. के लिए परिवर्धन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन हेतु की गयी है। (8) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए विभिन्न चालू स्कीमों हेतु 481.55 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है। (9) मांगनीय अयस्क इंडिया लिमिटेड हेतु बालाघाट तथा द्रोणगिरि बुजुर्ग माइन स्थित एकीकृत लाभ आयोजना जैसी नवीन स्कीमों हेतु 26.75 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, बालाघाट स्थित एनपी से बीजी तक रेलवे साइडिंग का रुपान्तरण तथा गुमगांव माइन स्थित नवीन वर्टिकल शाफ्ट का सिंकिंग, एएमआर स्कीमों, नगर निर्माण तथा अनुसंधान और विकास स्कीम / व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए भी परिव्यय की व्यवस्था है।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः** वर्ष 2003-04 के लिये 885.05 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है, जिसमें 653.55 करोड़ रुपए के आंतरिक

और बजटेत्तर संसाधन शामिल हैं। कुल परिव्यय का अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(क) एल्यूमीनियम (i) नेलको के लिए 650 करोड़ रुपए;
(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) के लिए 20 करोड़ रुपए;
(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 9 करोड़ रुपए;
(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण 176 करोड़ रुपए;
(ङ) भारतीय खान ब्यूरो 19 करोड़ रुपए;
(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8.05 करोड़ रुपए;
(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण कार्यक्रम 6 करोड़ रुपए।

**उर्वरक उद्योगः** वर्ष 2003-04 के लिए 1059.75 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें से 862.75 करोड़ रुपए की राशि आंतरिक तथा बजटबाह्य संसाधनों से पूरी की जाएगी और 197 करोड़ रुपए की शेष राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (22 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लि. (114 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (14 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (45.13 करोड़ रुपए), प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट लिमिटेड (0.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (68.77 करोड़ रुपए), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (374 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (374.85 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं और स्कीमों हेतु (20 करोड़ रुपए) तथा अन्य योजनाओं (26.50 करोड़ रुपए) के लिए है।

अन्य स्कीमों के तहत, कृषक भारतीय सहकारी लि. के लिए भारत-ब्रिटेन सहायता कार्यक्रम के तहत वर्षापोषित खेती परियोजना के लिए 18 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट एंड डिवलपमेंट इंडिया लि. हेतु अनुसंधान तथा विकास के लिए अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपए, एस एंड टी कार्य हेतु 3 करोड़ रुपए तथा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

**रसायन और भेषज उद्योगः** इसे उद्योग हेतु वर्ष 2003-2004 के लिए 67.68 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है।

**इंजीनियरी उद्योगः** इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय वर्ष 2003-2004 हेतु 416.19 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें से औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग को 12 करोड़ रुपए, भारी उद्योगों हेतु 268.62 करोड़ रुपए जिसमें इंजीनियरिंग उद्योगों अर्थात् मेल, भारत यात्रा निगम लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., भारी इंजीनियरिंग निगम लि., हिन्दुस्तान केबिल लि., इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा, स्कूटर इंडिया लि., एचएमटी, एंड्रू यूले एंड कम्पनी लि. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि. आदि शामिल हैं, के लिए 239.37 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है, पोत परिवहन हेतु 117.57 करोड़ रुपए तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

**परमाणु उर्जा उद्योगः** इस क्षेत्र हेतु वर्ष 2003-2004 में 452.10 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आयोजना परिव्यय में बजटीय सहायता के माध्यम से 331 करोड़ रुपए तथा इंडियन रेयर अर्थ लि. के 121.10 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के (20 करोड़ रुपए) तथा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के. (140 करोड़ रुपए) आन्तरिक संसाधनों के रूप में शामिल हैं। बजटीय सहायता में गुरु कल संयंत्र, गुरुकल बोर्ड के अन्य चालू गुरुकल संयंत्रों में लघु सुधार तथा बड़ौदा स्थित गुरुकल संयंत्र में वृहद् सुधार के लिए व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की चालू तथा नई परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, बजटीय सहायता में चालू स्कीमों को पूर्ण करने तथा नाभिकीय ईंधन कॉम्पलेक्स द्वारा नयी दसवीं योजना स्कीमों पर कार्य प्रारम्भ करना तथा लेजर के विनिर्माण सम्बन्धी परियोजना का उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र के उद्देश्यों तथा औषधियों में उपयोग करने पर ध्यान दिया जाएगा। अन्य परियोजनाओं में विकास सम्बन्धी कार्यों तथा सर्वेक्षण, परमाणु ऊर्जा के लिए खनिजों की सम्भावना तथा दोहन परियोजनाएं शामिल हैं। इस परिव्यय में विभिन्न अस्पतालों तथा उद्योगों में आपूर्ति हेतु रेडियो-आइसोटोप्स तथा नाभिकीय औषधियों के उत्पादन से सम्बन्धित बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप्स टेक्नोलॉजी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी व्यवस्था करना शामिल है। बजटीय सहायता से, विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंडियन रेयर अर्थ लि. तथा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सहायता भी प्रदान की जाती है।

## परिवहन

**रेलवे :** रेलवे के लिए वर्ष 2003-04 में 11985 करोड़ रुपए के वार्षिक आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इस राशि में से, 6077.33 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी। जिसमें विशेष रेल सुरक्षा निधि का अंशदान शामिल है। इस परिव्यय के माध्यम से प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति 3850 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 350 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 775 रूट किमी. का गॉफ परिवर्तन, 225 किमी. की नई रेल लाइनें, 340 किमी. की लाइनों का दोगुना करना तथा अतिरिक्त 154 लोकोमोटिव का विनिर्माण करके की जाएगी।

**सड़क परिवहन और राजमार्गः** सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अन्तराज्यीय विवादों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित सारणी सड़क क्षेत्र के सम्बन्ध में समग्र बजटीय सहायता को प्रदर्शित करती है :-

*(करोड़ रुपए)*

| मद | |
|---|---|
| - राज्यों को अनुदान | 875.60 |
| - राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान | 95.00 |
| - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान | 35.16 |
| - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान | 5.00 |
| - एनएचएआई में निवेश | 1993.00 |
| - रेलवे | 433.00 |
| - ग्रामीण सड़कें | 2325.00 |
| - **जोड़** | **5761.76** |

**नौवहनः** भारतीय नौवहन, पत्तन अंतर्देशीय जल क्षेत्रक तथा पोत निर्माण उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए वर्ष 2003-04 में 2545.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, इसमें भारतीय नौवहन निगम सीएसएल, डीसीआई और प्रमुख पत्तनोंके लिए 2120.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है जो 'आईईबीआर' से प्राप्त होती है।

**नागर विमाननः** नागर विमानन हेतु 1779.18 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें बजटीय सहायता 53.12 करोड़ रुपए हैं ।

**सड़क और पुलः** वर्ष 2003-04 में इस क्षेत्रक के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम हेतु प्रावधान को छोड़कर कुल परिव्यय 12566.92 करोड़ रुपए है । इसमें से 10043 करोड़ रुपए सड़क और राजमार्गों के लिए, 433 करोड़ रुपए रेलवे सुरक्षा के लिए और 2090 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए रखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी असम्बद्ध स्थानों को जिनकी जनसंख्या 500 से ज्यादा है, दसवीं योजना के अंत तक वर्ष भर अच्छी हालत में रहने वाली सड़कों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 में प्रारंभ किया गया था। पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल) तथा रेगिस्तानी इलाकों के संबन्ध में इस योजना का उद्देश्य 250 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले निवासियों अच्छी सड़कों से जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना भी है। इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। निधियों के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं।

## संचार

**डाक सेवाएंः** वर्ष 2003-2004 के लिए 150 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया डाक सेवाओं में प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए है। इसमें शामिल किए जाने वाले अन्य क्षेत्रों में कार्यालयों की अर्थव्यवस्था में सुधार, व्यवसाय विकास, डाक ढुलाई का यांत्रिकीकरण, वित्तीय सेवाओं का विकास, भवनों व स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, प्रशिक्षण व अनुसंधान-विकास/सर्वेक्षण शामिल हैं।

**दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएं:** भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीकॉम इंजी. सेन्टर और सेंटर फार डवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स के लिए 14609.93 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है। वायरलैस मानीटरिंग संगठन, वायरलैस प्लानिंग कॉआरिडनेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी आथोरिटी आफ इंडिया तथा टेलीकाम डिस्प्यूट सेटिलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 143.07 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। आईटीआई लि. के लिए 202 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है।

**सूचना प्रौद्योगिकी:** सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति से देश की अर्थव्यवस्था के साथ मानव जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत में आईटी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग 2001-2002 के दौरान स.घ.उ. का लगभग 2 प्रतिशत रहा । भारतीय आई.टी. साफ्टवेयर और सेवा निर्यात 2001-2002 के दौरान भारत के कुल निर्यात का 18 प्रतिशत से अधिक रहे । ऐसी संभावना है कि 2008 तक भारतीय आईटी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग भारत के स.घ.उ. का 7 प्रतिशत और भारत के कुल नियति का 35 प्रतिशत होंगे।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस विभाग ने अनेक योजना स्कीमें अर्थात 16 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, 10 आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत 3 कार्यक्रम तथा 5 अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्ष 2003-04 के लिए योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित कुल आयोजना आवंटन 470 करोड़ रुपए है।

## विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

**परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** वर्ष 2003-2004 के लिए अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के लिए आयोजन परिव्यय 464 करोड़ रूपए है, जो अनुसंधान और विकास जारी रखने और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परिवर्ती साइक्लोट्रॉन केंद्र, उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए अन्वेषण और अनुसंधान केंद्र के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केंद्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और अन्य संस्थानों को दसवीं योजना की नई स्कीमों के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विभाग के विभिन्न अनुसंधान और विकास यूनिटों के लिए आवास और ढाँचागत सुविधाओं के लिए हैं।

**अंतरिक्ष अनुसंधान:** वर्ष 2003-2004 के लिए अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 2050 करोड़ रूपए है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये 1234.69 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) 366.76 करोड़ रुपए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी.एम.एस.सी.), इसरो इनर्टियल सिस्टम्स यूनिट (आई.आई.एस.यू.), लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एल.पी.एस.सी.) इसरो सैटेलाइट सेंटर (आई.एस.ए.सी), इलैक्ट्रो आप्टिक्स सिस्टम (एल.आई.ओ.एस.) प्रयोगशाला, सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केन्द्र-एस.एच.ए.आर. (एस.टी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर.), इसरो टेलेमैट्री, ट्रैफिंग और कमाण्ड नेटवर्क (आई.एस.टी.आर.ए.सी.) और राडार विकास कक्ष (आर.डी.सी.) (ख) 58560 करोड़ रुपए द्वितीय प्रक्षेपण पैड, भू-सहवर्ती सैटेलाइट प्रक्षेपण यान(जी.एस.एल.बी.) और बी.एस.एल.वी. जारी रखने जी.एस.एल.वी. मी.के.-??? विकास, क्रायोजिनिक अपर स्टेज (सी.यू.एस.) परियोजना,पोलर सैटलाइट प्रक्षेपण यान जारी रखने की (पी.एस.एल.वी.-सी) परियोजना और अंतरिक्ष कैप्सूल प्राप्ति परीक्षण के लिए और (ग) 282.33 करोड़ रुपए भारतीय दूरस्थ संवेदी सैटेलाइट परियोजनाओं, जी. सैट परियोजनाओं ओर अन्य सैटलाइट परियोजनाओं जैसे मेटस्टैट ओर रिसैट-I के लिये।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोमों के लिये किया गया प्रावधान 198.47 करोड़ रुपए है जिसमें 74.88 करोड़ रुपए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.) के लिए, 33.66 करोड़ रुपए विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट (डी.ई.सी.यू.के लिये, 54.80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली एन.एन.आर.एम.एस.) के लिये, 13.67 करोड़ रुपए क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदी सेवा केन्द्रो (आर.आर.एस.एस.सी.) एवं दूरस्थ संवेदी अनुप्रयोग मिशन (आर.ए.एस.एम.) के लिये, 6.46 करोड़ रुपए राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी (एस.आर.एस.ए.) के लिये, 10 करोड़ रुपए आपदा प्रबंध प्रणाली (डी.एम.एस.) के लिये और 5 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ई.एस.ए.सी.) के लिये शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञानों के लिये 87.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें 23.12 करोड़ रुपए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये, 3.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय एम.स.टी. राडार सुविधा (एस.एम.आर.एफ.) के लिये, 10 करोड़ रुपे "रिस्पांड के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये, 28.15 करोड़ रुपए सेंसर विकास के लिये 5.20 करोड़ रुपए मेघा ट्रापिक्स परियोजना के लिये 10 करोड़ रुपए एसट्रोसैट मिशन और 7.21 करोड़ रुपए इसरो भू-पिरमंडल-जैव परिमंडल कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन और अंतर एजेंसी अंतरिक्ष विज्ञान परियोजना, ध्वनि परीक्षण सुविधा, सूक्ष्म गुरूत्व अनुसंधान अनुप्रयोग रिकवरी माडयुल्स आदि के लिये शामिल है।

(iv) इंसैट आपरेशनल के अंतर्गत 491.97 करोड़ रुपए के प्रावधान में 31.97 करोड़ रुपए मास्टर नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.), 275 करोड़ रुपए इंसैट-3 सैटेलाइट परियोजना (प्रक्षेपण सेवाओं और ट्रांसपौण्डर्स पट्टेदारी सहित), 185 करोड़ रुपए प्रक्षेपण, सेवा सहित इंसेट-4 सैटेलाइट परियोजना के लिये शामिल है।

(v) 37.60 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष स्वदेशीकरण उन्नत आईरिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं केन्द्रीय प्रबंध के लिये किया गया है।

**समुद्रविज्ञान अनुसंधान:** वर्ष 2003-2004 के लिए परिव्यय 175 करोड़ रूपए है। इसमें अंटार्कटिका ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 24 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें अंटार्टिका में भारतीय प्रयास जारी रखने और देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना पर होने वाला व्यय शामिल है। बहुधात्विक नोड्यूल के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 22 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। समुद्र अवलोकन, विज्ञान और सूचना कार्यक्रम के लिए भी 35 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को उसके कार्यकलापों के लिए 25 करोड़ रूपए और विभाग की समुद्र से औषधि, तटीय अनुसंधान पोत, तटीय समुद्र अनुवीक्षण और पूर्वानुमान प्रणाली, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता; महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री जीव संसाधनों एवं मात्सियकी एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, बेनफैन, गहन समुद्री खनिज अन्वेषण, एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंध, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर आदि जैसे विभाग के अन्य चालू कार्यकलापों के लिए 48.60 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

संपूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक वैथी मीट्रिक सर्वेक्षण, गहराईमापन, गैस हाइड्रेट अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास, नए पोतों के अधिग्रहण और लक्ष्मी बेसिन मे भू-भौतिक अध्ययन जैसे कतिपय नए कार्यकलापों की दसवीं पंचवर्षीय योजना में संकल्पना की गई है वर्ष 2003-2004 में इन कार्यकलापों के लिए 34 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी :** वर्ष 2003-2004 के लिए विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 800 करोड़ रूपए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन परिव्यय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। यह क्षेत्र पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी मे विभिन्न विषयों के अतिरिक्त मिशन रूप मे इंस्ट्रूमेंटेशन विकास और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से संबद्ध हैं। उद्यमशीलता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर विधिवत बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है।

**अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान:** इसके लिए 2003-2004 में 520 करोड़ रुपए का परिव्यय है। यह प्रौद्योगिकी संवर्धन,विभाग के विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों और दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इसकी सहायता के लिए है। इसके अलावा यह परिव्यय सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए है जिसका उद्देश्य विज्ञान उत्कृष्टता के संगठनात्मक मूल्यों को बढ़ावा देना,उच्च विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी में विश्व-प्रतियोगिगता,लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक मूल्यों के अनुरूप स्थानीय संगतता लाना,और विज्ञानों से लेकर प्रौद्योगिकी,प्रबंध से लेकर वित्तव्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों के क्रियाकलापों में नवीनतम लाना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें छोटे सिविलियन विमान का डिजाइन तैयार करना,विकास

एवं विनिर्माण, नये यौगिकों और जैव-रूपातंरण प्रक्रिया के लिए भारत की जीवाणु संपदा का अन्वेषण एवं उपयोग, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए "मेसोजिक सैडीमेंट्स", दमा और एलर्जी रोग कम करना, भूमंडलीय बिक्री के लिए नयी वैज्ञानिक हर्बल दवाईयां तैयार करना, फोटोनिक और इलैक्ट्रानिक के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, नई पीढ़ी के ईंधनों और लुब्रीकेंट्स का विकास, विश्वस्तरीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, बार-बार और एकल न्यूक्लीयोटाइड पालीमार्फिज्म का उपयोग करते हुए संभावित औषधियां, उन्नत एवं मूल्यवर्धित यौगिकों के लिए औषधीय पादम कीमोटाइम्स, उन्नत खाद्य रेफेरल सुविधा की स्थापना, भूमिगत जल का अन्वेषण मूल्यांकन और प्रबंध, आपदा रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करना और भूमिगत कोयला क्षेत्रों का प्रबंध, संक्रामण रोगों से निपटने के लिए भंडारण एवं अनुसंधान सुविधाएं, नये जैव-सक्रिय एवं पारंपरिक उत्पादों का विकास एवं वाणिज्यिक शामिल है। प्रौद्योगिकी लाभ पर आधारित कुछ नये चुनिन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमंडलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए "न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नालाजी लीडरशिप इनीसिएटिव(एनएमआईटीएलआई) की स्कीम को भी यह सहायता प्रदान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास और बौद्धिक संपदा प्रबंध के लिए भी यह सहायता प्रदान करेगा।

**जैव-प्रौद्योगिकी:** वर्ष 2003-2004 में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अनुमोदित परिव्यय 260 करोड़ रूपए है। स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा और उद्योग के क्षेत्रों में नई उभरती हुई संभावनाओं सहित जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रदर्शन पर लक्षित कार्यक्रमों को सहायता दी जाती रहेगी।

**पर्यटन:** वर्ष 2003-2004 के लिए परिव्यय 325 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय में यह स्कीमें शामिल हैं: पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास, आईएचएमएस/ एफसीआईएस/आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस/एनआईएएस/एनसीएचएमसीटी को सहायता, सेवा प्रदायकों के लिए क्षमता निर्माण, बाजार विकास सहायता, घरेलू संवर्धन एवं प्रचार, आतिथ्य सत्कार आदि सहित विदेशी संवर्धन एवं प्रचार।

**विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन:** 2003-2004 के लिए 578.09 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें आधार संरचना (350 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(52.27 करोड़ रुपए), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (52.30 करोड़ रुपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम(80 करोड़ रुपए), बाजार सुलभता उपाय -निर्यात अध्ययन(44 करोड़ रुपए) एवं अन्य(20 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल है।

**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** रेलवे, सड़कों, विमान पत्तनों एवं समुद्री पत्तनों के अधीन विभिन्न आधार संरचना परियोजनाओं को विकसित करने के लिए बजटीय सहायता बढ़ाकर एक नई निधिपोषण प्रणाली स्थगित करने हेतु कुल आबंटन में से 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। उपभोक्ता शुल्कों पर आधारित पर्याप्त निवेश बढ़ाने के लिए "संभाव्य अंतराल निधिपोषण" सुनिश्चित करने का प्राथमिक उपाय होगा। सहायता के लिए जिन परियोजनाओं को चुना गया है उनमें राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना के अधीन स्वर्ण चतुर्भुज का उन्नयन, सुरक्षा उन्नयन, रेलवे के अन्तर्गत बड़े पुलों एवं पत्तनों की संयोजनता, परिव्रजन आधार संरचना उन्नयन और दिल्ली तथा मुंबई के विमान पत्तनों का विश्वस्तरीय विमान पत्तनों में विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के अलावा 48 सड़क और पुल परियोजनाएं, नावा-शेवा एवं कोचीन पत्तनों का तल कर्षण एवं आधुनिकीकरण और दो बड़े सम्मेलन केन्द्रों का निर्माण शामिल है।

## सामाजिक सेवाएं

**प्राथमिक शिक्षा :** प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता के लिए वार्षिक योजना 2003-2004 में 4900 करोड़ रूपए का कुल आयोजना आवंटन किया गया है। महत्वपूर्ण आयोजना स्कीमों में शिक्षक शिक्षण, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान की पुनर्संरचना और पुनर्गठन शामिल हैं ।

**शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) 1986 में जैसी संकल्पना की गई है उसके अनुसार शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केंद्र प्रायोजित स्कीम का प्रारंभ 1987 में व्यवहार्य संस्थात्मक अवसंरचना, उन्मुखीकरण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार, प्रशिक्षण और ज्ञान का अनवरत उन्नयन, देश में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दक्षता और शैक्षणिक कुशलता सृजित करना था। इस स्कीम के पांच संघटक हैं :-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और उनमें से कुछ का शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों के रूप में विकास करना;

(iii) राज्यों के शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण

(iv) विद्यालय अध्यापकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम और अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ शिक्षा पद्धति शुरु करना; और

(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

**जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबन्धन में सहभागिता प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है, छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिनका उद्देश्य विद्यालयों में भर्ती बढ़ाना और छात्रों की निरन्तरता बनाए रखना, पढ़ाई छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या घटाना और ज्ञानार्जन में वृद्धि करना है, प्राथमिक शिक्षा में फिर से नई जान फूंकने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है और इसमें ऐसी नीतियों को विकसित करने का प्रयास किया गया जो अनुकरणीय और सतत आधार पर चलने वाली हों। कार्यक्रम में इस समय 18 राज्यों में 271 जिलों को शामिल किया गया है।

**प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई):** देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए पौषणिक सहायता का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना और इसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण में अभिवृद्धि करना था। कार्यक्रम का अन्तिम लक्ष्य पौष्टिक पके हुए प्रसंस्कृत भोजन की व्यवस्था करना है जिसमें 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर कैलोरी हो और इसका वितरण पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से किया जाना है जिनको इस प्रयोजन हेतु संस्थागत प्रबन्ध विकसित करना है।

चूंकि अभी बहुत से राज्यों द्वारा पके हुए भोजन कार्यक्रम को अभी शुरू किया जाना है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आंतरिक आदेश पी आई एल संख्या. डब्ल्यू पी (सी) 196/2001 के अंतर्गत इन राज्यों को निदेश दिया है कि वे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 8-12 ग्राम प्रोटीन सहित न्यूनतम 300 कैलोरी वाले पके हुए भोजन की व्यवस्था करें। इस कार्यक्रम को लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें इस समय 6009 ब्लाकों के 8.04 लाख विद्यालयों में पढ़ने वाले 10.38 करोड़ बच्चों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

**सर्व शिक्षा अभियान:** यह मिशन के रूप में एक सर्वांगीण और अभिमुखी नीति द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह सामुदायिक दृष्टिकोण से प्रभावित योजना है तथा ग्रामीण शिक्षा योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श के साथ तैयार की जाती है जो जिला बुनियादी शिक्षा योजनाओं का आधार बनती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में चलाया जाएगा जिसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक सार्वभौमिक नामांकन, वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक स्कूलिंग तथा 2010 तक आठ वर्ष की बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इसके विशेष लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

(i) वर्ष 2003 तक स्कूलों में सभी बच्चों की भर्ती, शिक्षा गारंटी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूल, स्कूल-वापसी कैम्प की व्यवस्था;

(ii) वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा पांच वर्ष की बुनियादी स्कूलिंग पूरी करना;

(iii) वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा आठ वर्ष की बुनियादी स्कूलिंग पूरी करना;

(iv) बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देना;

(v) वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर के तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर के सभी लिंग संबंधी तथा सामाजिक श्रेणी के अंतर को समाप्त करना; तथा

(vi) वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण।

सर्व शिक्षा अभियान में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, अध्यापक शिक्षा की पुनर्सरंचना और पुनर्गठन तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु पौष्टिक आहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम को छोड़कर बुनियादी शिक्षा क्षेत्र की सभी चालू स्कीमों को शामिल कर लिया जाएगा।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लिए परिव्यय 669 करोड़ रुपए जिसमें पहुंच और इक्विटी के लिए 20 करोड़ रुपए(लड़कियों के लिए छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता), विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए 28 करोड़ रुपए (इसमें स्कूली शिक्षा में पर्यावरण उन्मुखता, योग का उन्नयन तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं का संवर्धन शामिल है), विद्यालयों में आईसीटी के लिए 111 करोड़ रुपए(इसमें कम्प्यूटर शिक्षा व विद्यालयों में साक्षता तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी शामिल है), अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लिए 14 करोड़ रुपए , केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 85 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ओपन स्कूलों के लिए 15 करोड़ रुपए, नवोदय विद्यालयों के लिए 380 करोड़ रुपए और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के लिए 3 करोड़ रुपए शामिल है।

615 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें 516.75 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(कालेजों/ विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण, हिन्दी एवं उर्दू विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा की यूजीसी स्कीमों और कालेजों/विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन), 2.75 करोड़ रुपए भारतीय आधुनिकक अध्ययन संस्थान, शिमला, 2.80 करोड़ रुपए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, 2.40 करोड़ रुपए भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद, 0.80 करोड़ रुपए का संकेतिक प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, 17.50 करोड़ रुपए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, 67 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 0.40 करोड़ रुपए भारतीय विश्वविद्यालय संघ, 1.3 करोड़ रुपए उच्चतर अध्ययन संस्थानों, 0.40 करोड़ रुपए डा0 जाकिर हुसैन स्मारक ट्रस्ट और 1 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा स्कीम के लिए शामिल हैं।

हिन्दी के प्रचार एवं अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों सहित भारतीय भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए 114 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इसमें अन्य के साथ-साथ 9 करोड़ रुपए मानव मूल्य शिक्षा और 31.50 करोड़ रुपए मदरसों को क्षेत्रोन्मुखी बनाने एवं उनके आधुनिकीकरण के लिए हैं। पुस्तक संवर्धन एवं कापी-राइट क्रियाकलापों तथा छात्रवृत्ति स्कीमें के लिए क्रमशः 12 करोड़ रुपए और 8 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

योजना एवं प्रशासन के अधीन 7 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें 2.25 करोड़ रुपए राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 0.90 करोड़ रुपए अध्ययन स्कीम, संगोष्ठियों, शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के मूल्यांकन और 0.35 करोड़ रुपए यूनेस्को हाउस के निर्माण के लिए है।

**तकनीकी शिक्षा :** वर्ष 2003-2004 में तकनीकी शिक्षा के लिए 700 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें 70 करोड़ रुपए सामुदायिक पालिटेकनिक्स(गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम), 140 करोड़ रुपए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 80 करोड़ रुपए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, 25 करोड़ रुपए भारतीय प्रबंध संस्थानों, 17 करोड़ रुपए भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, 100 करोड़ रुपए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 8 करोड़ रुपए प्रौद्योगिकी विकास मिशन और 3 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के लिए हैं।

50 करोड़ रुपए का प्रावधान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए किया गया है और 12.49 करोड़ रुपए नयी एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहायता, औपचारिक क्षेत्र विकास, दूरस्थ शिक्षा सहायता एवं वैब आधारित शिक्षण, संसाधनों के ईष्टतम उपयोग हेतु संस्थानों की नेटवर्किंग के लिए सहायता, राष्ट्र स्तरीय प्रवेश परीक्षा और सक्षयता भारतीय मूल्यांकन सेवाओं, शैक्षणिक प्रशासन विकास हेतु सहायता, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा मिशन और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के लिए हैं।

**कला और संस्कृतिः** वर्ष 2003-04 के लिए 225.20 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नाट्य, नृत्य तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, सफदरजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है।

पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए 24.80 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी गई है जिसे शहरी विकास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों में दर्शाया जाएगा।

**चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः** वर्ष 2003-04 के लिए 1550 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 667.50 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता संघटक शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा संक्रामक और अन्य बीमारियों के नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया किया गया है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य पक्ष में, 2003-04 के परिव्यय में मुख्य आबंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (225 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें काला-अजार भी शामिल है (245 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (74 करोड़ रुपए), कैंसर अनुसंधान तथा नियंत्रण (55 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम सहित अंधता निवारण (86 करोड़ रुपए), टी बी नियंत्रण कार्यक्रम (115 करोड़ रुपए), संक्रामक रोग नियंत्रण (44.25 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्य (37 करोड़ रुपए), अस्पताल तथा औषधालय (134.70 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य आसूचना, खाद्यान्न मिलावट की रोकथाम, औषधि मानक नियंत्रण संगठन, मादक द्रव्य नशा मुक्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र के खतरों संबंधी तैयारी और प्रबंधन, औषधि और पीएफके तम्बाकू युक्ति सबंधी पहल के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता, सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु यूएनडीपी की प्रायोगिक पहल (115.45 करोड़ रुपए) के लिए रखे गए हैं।

चिकित्सा के संबंध में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहित आयुर्विज्ञान के विकास पर जोर दिया गया है जिसके लिये 2002-2003 के दौरान 408.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

**परिवार कल्याण :** परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के रुप में जारी है और वर्ष 2003-2004 के लिए 4930 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

**जल आपूर्ति एवं सफाई :** इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाकर देश में सभी ग्रामीण आबादियों के लिये पेयजल के प्रावधान की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता के लिये सरकार वचनबद्ध है। इसीलिये सरकार गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति के लिये वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। क्षेत्रक सुधार कार्यक्रम को अब पंचायती राज संस्थाओं की निकट भागीदारी के साथ स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में जिला स्तर से नीचे विस्तारित किया गया है। स्वजल धारा स्कीम की खास विशेषता यह होगी कि इसे समुदाय द्वारा क्रियान्वित, अनुरक्षित व धारित किय जाएगा। इन परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी प्रमुख घटक हैं जो आने वाले समय के लिए योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करे। समुदाय 10 प्रतिशत योगदान करता है और 90 प्रतिशत निधियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2003-2004 के लिए ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए 2585 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 350 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख हैंडपम्प लगाने, 1 लाख जल के पारंपरिक स्रोतों के पुनरुद्धार और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था करना है। सरकार ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर सहायता देने को सर्वाधिक महत्व देती आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता को विशेष ध्यान देने के लिए 1.4.1999 से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्संचित किया गया है। अब इसे एक परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है और इसे जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्ष 2003-2004 के लिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिसमें 16.50 करोड़ रुपए "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान" शीर्षक के अन्तर्गत अलग से रखा गया है।

## आवास

**ग्रामीण आवास :** वर्ष 2003-04 में ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 1900 करोड़ रु. है। जिसमें 190 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को या उनके निकट संबंधी को भी प्रदान किया गया है, भले ही उनकी आय कुछ भी हो और वे ये शर्तें पूरी करते हों (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों; (ii) वह आवास-पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आते हों; और (iii) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिये आवास की आवश्यकता रखते हों। ये लाभ, अर्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिस सीमा तक वे इंदिरा आवास योजना की सामान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और किसी अन्य आवास पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत न आते हों, प्रदान किए गए हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। मैदानी इलाके में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की सीमा 20,000/- रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22000/- रुपए निर्धारित की गयी है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10,000/- रुपए की दर से अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने की योजना भी आरम्भ की गयी है। इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत राशि इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की जाती है। इन निधियों की भागीदारी केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। दिनांक 1-4-1999 से आरम्भ की गयी ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना अब प्रचालन में है और 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु है। पहले ये सरकार की इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते थे लेकिन इस प्रकार की पहल ने उन्हें अपने मकान होने की हकदारी प्रदान की है। पात्र परिवार को 10,000/- रुपए तक की सब्सिडी और 40,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवार के ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए 'हुडको' को इक्विटी पूंजी की सहायता भी मुहैया करायी जाती है। ऐसे इलाकों में जहां सफाई और पेय जल की आवश्यकताओं पर भी उचित ध्यान दिया जाना जरुरी है, समग्र रुप से बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए दिनांक 1999-2000 से समग्र आवास योजना नामक स्कीम आरम्भ की गयी है। लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों, सामग्री और डिजाइन आदि को संवर्धित करने और उन्हें प्रचलित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवासन और आवास विकास की नवीन श्रृंखला नामक एक योजना भी 1.4.1999 से प्रचालन में है। इसके अलावा देश में ग्रामीण भवनों की स्थापना की एक स्कीम शुरू की गई है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण एवं किफायती भवन सामग्रियों के उत्पादन के द्वारा कार्यकौशल बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की भी स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामग्रियां शुरू की जा सकें और प्रौद्योगिकी, आवास एवं ऊर्जा संबंधी मुद्दों में सामंजस्य बिठाया जा सके जिसस एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर तथा सामुदायिक माध्यस्थता से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुलभ आवास प्रदान किये जा सकें।

**शहरी विकासः** वर्ष 2003-2004 के दौरान किए गए प्रावधान में लघु और मझोले कस्बों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिये 100 करोड़ रु.,बड़ी शहरी स्कीमों के लिये 120 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें शहरी परिवहन अर्थात् दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के लिये कुल 880 करोड़ रु. का प्रावधान भी शामिल है ।

**सूचना एवं प्रचार तथा प्रसारणः** वर्ष 2003-2004 में सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रक के लिये 890 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें 475 करोड़ रु. की आई.ई.बी.आर. की धनराशि भी शामिल है। सूचना एवं फिल्म क्षेत्रक में मीडिया यूनिटों के लिये प्रदत्त 49 करोड़ रु. के आबंटन में प्रेस सूचना ब्यूरो, भारतीय जन संचार संस्थान, विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, संगीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, पंजीकार-भारतीय समाचार पत्र, सूचना भवन एवं मानव संसाधन विकासार्थ प्रशिक्षण के लिये आबंटन शामिल है। फिल्म प्रभागों, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,, भारत एवं विदेशों में फिल्म बाजार में भाग लेने के लिये भी आबंटन किये गए हैं। वर्ष 2003-2004 में प्रसारण क्षेत्रक के लिये आबंटन 841 करोड़ रु. का है जिसमें 366 करोड़ रु. की बजटीय सहायता भी शामिल है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्रः** विद्युत, सिंचाई,सड़कों और संचार क्षेत्रकों की स्कीमों एवं परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसी विकासात्मक स्कीमों एवं परियोजनाओं की योजना, निष्पादन तथा मानिटरिंग से संबंधित मामलों की देखभाल के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का सृजन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के लिये 1069.90 करोड़ रुपए राज्य आयोजना सहित का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर 7त्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल संसाधनों से 550 करोड़ रुपए का अनुदान तथा ऋण के रूप में तथा पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिये 500 करोड़ रुपए भी शामिल है। सभी मंत्रालयों/विभागों (कुछ को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है) से अपेक्षा है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिये अपने केन्द्रीय योजना बजट का कम से कम 10% निर्धारित करें ।

## कल्याण

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याणः** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये वार्षिक योजना 2003-2004 में 1410 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में अनुसूचित जाति संघटक योजना (376.91 करोड़ रुपए), मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (260 करोड़ रूपए), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (15.10 करोड़ रूपए), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 (31.50 करोड़ रूपए) के कार्यान्वयन, अपंग व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक क्रिया संवर्धन स्कीम (75 करोड़ रुपए), सफाई कर्मचारियों की कार्य मुक्ति एवं पुनर्वास (40 करोड़ रूपए), विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता उपकरण (55 करोड़ रुपए), नशाबंदी तथा मादक द्रव्यों के निरोध के लिए शैक्षणिक कार्य (22.65 करोड़ रुपए), मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन 30 करोड़ रुपए) अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिये हास्टिल (11.70 करोड़ रूपए) के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधान शामिल हैं।

**जनजातीय कार्य :** वार्षिक योजना 2003-2004 के लिए 290 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति, बुक बैंक और अ.ज.जा. विद्यार्थियों के गुणों का संवर्धन (56.49 करोड़ रूपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए इनाम (32 करोड़ रूपए), गांव अनाज बैंकों की स्थापना (30 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना (14 करोड़ रूपए),लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (18 करोड़ रुपए) सहायता अनुदान शामिल है।

**श्रम और रोजगारः** वर्ष 2003-2004 के लिये परिव्यय 170 करोड़ रुपए है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण पर तथा कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है । सरकारी विभिन्न श्रमिक कल्याण स्कीमों एवं कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम,1995 के लिए प्रावधान किया गया है। असम में पौधारोपण कामगारों, केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए कर्मचारी परिवार पेंशन-सह जीवन बीमा योजना हेतु भी प्रावधान किया गया है।

## सामान्य सेवाएं

**न्याय प्रशासनः** 120 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यतया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका हेतु आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हेतु है। राज्यों से आशा की जाती है कि वे केन्द्र द्वारा किए गए अंशदान के समतुल्य प्रतिसंतुलित हिस्सा उपलब्ध कराएं। उपरोक्त आवंटन में राष्ट्रीय न्यायपालिका अकादमी, चार महानगरीय शहरों में शहरी सिविल न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण, परिवार न्यायालयों आदि की स्थापना भी शामिल है।